Tijaria Polypipes Limited

TIJARIA®
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED COMPANY
NATIONAL AWARD WINNER

Date: 30/03/2026

To TheManager, DepartmentofCorporateServices BSELimited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 533629	To ListingCompliances, NationalStockExchangeofIndiaLimited ExchangePlaza, BandraKurlaComplex, Mumbai-400051 NSE Symbol: TIJARIA

Dear Sir/Madam

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: Copy of Appeal under section 415 B.N.N.S against Order of Additional Chief Judicial Magistrate, Jaipur, Rajasthan with District and Sessions Court Jaipur, Rajasthan

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, Please find enclosed herewith the **Copy of Appeal under section 415 B.N.N.S against Order of Additional Chief Judicial Magistrate, Jaipur, Rajasthan with District and Sessions Court Jaipur, Rajasthan.**

This is for your information and records please.

Thanking You.
For Tijaria Polypipes Limited

Praveen Jain Tijaria
Digitally signed by Praveen Jain Tijaria
Date: 2026.03.30 14:36:06 +05'30'

Praveen Jain Tijaria
Whole Time Director
Din No.00115002

Encl: As Above

PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:
A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area
Jaipur-302013 (Raj.) India
Tel : 0141-2333722
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:
SP-1-2316, RIICO Industrial Area
Ramchandrapura, Sitapura Extn.
Jaipur-302022 (Raj.) India.
CIN - L25209RJ2006PLC022828

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर

फौजदारी अपील संख्या...../2026

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016

2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006

6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी–6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016

–––अभियुक्तगण/अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

2. कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान जयपुर

---प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 415 बी.एन.एन.एस. विरूद्ध निर्णय/दण्डादेश दिनांक 17.03.2026, द्वारा पारित न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर द्वितीय पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मीना, आर.जे.एस. जिनके द्वारा प्रकरण संख्या 09/2015 में धारा 63 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 3,000/– (तीन हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतने तथा धारा 68 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (03 वर्ष 06 माह) तीन वर्ष छह माह का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 6,000/– (छह हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (06) छह माह का साधारण कारावास अलग से भुगतने तथाधारा

628 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 5,000/– (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतने के दण्ड से दण्डित फरमाया गया है।

श्रीमानजी,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न तथ्यों पर प्रस्तुत हैः–

01. संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान, जयपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध एक परिवाद कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत इस आशय का पेश किया कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड परिवादी के कार्यालय में पंजीकृत कंपनी है जिसके पास शेयर पूंजी है और वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 17.07.2006 को पंजीकृत की गई थी। अभियुक्तगण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2012–सीएल–11

दिनांक 06.09. 2012 की अनुपालना में कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक राजस्थान जयपुर द्वारा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स व रिकॉर्ड का निरीक्षण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209ए के तहत किया गया। कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्ट्स दिनांक 12.09.2011 कंपनी के व्यवसाय के विस्तार एवं विविधता हेतु परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का, जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल रुपये साठ करोड का जारी किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी ने पाया कि कंपनी के निदेशक मण्डल की मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में कंपनी के व्यवसाय खर्चों के लिए लोन लेने हेतु प्रस्ताव पारित किया। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से लिए गये आईसीडी एवं इनके पुनर्भुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं करके तथ्यों को छिपाया गया। इस कारण निवेशकों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं देकर तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन किये। अभियुक्तगण

द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यों को छिपाते हुए झूठे कथन किये जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी का भुगतान आईपीओ में से किया गया, जबकि उक्त भुगतान प्रोस्पेक्ट्स के उद्देश्य या जारी करने से संबंधित उपयोगिता की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं था। कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में पृष्ठ 56 पर यह दर्शित किया कि जारी किये गये इश्यू से संबंधित कोई ब्रिज लोन नहीं लिया है जबकि इश्यू के उद्देश्यों से संबंधित विवरण में यह अंकित था कि वर्किंग केपिटल मार्जिन हेतु रुपये 8.6 करोड एवं कंटीजेन्सीज हेतु 2.8 करोड प्रस्तावित थे परन्तु आईसीडी के भुगतान के बारे में कुछ भी अंकित नहीं था। इस प्रकार कंपनी ने आईसीडी के भुगतान करने के संबंध में इश्यू से संबंधित प्रकिया में कोई खुलासा नहीं किया। इस प्रकार कंपनी एवं निदेशकगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में मिथ्या सूचना दी, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रोस्पेक्ट्स के पृष्ठ 76 पर के मद इंटरिग यूज ऑफ प्रोसीड में यह अंकित किया गया कि इश्यू में प्राप्त बकाया राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेश करने में किया जाएगा। यद्यपि

कंपनी द्वारा इश्यू से प्राप्त राशि में से आईसीडी का पुनर्भुगतान करना प्रोस्पेक्ट्स में दिए गए विवरणों में सम्मिलित नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी की राशि का उपयोग प्रमोटर्स/प्रमोटर्स के संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करने में किया गया। अतः आईपीओ से प्राप्त राशि में से प्रमोटर्स / उनके संबंधियों को उनके लोन का पुनर्भुगतान करने के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं किया जो कि प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यात्मक रूप से दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में मिथ्या कथन है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रोस्पेक्ट्स के पेज नम्बर 18 पर यह कथन किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन एग्रीमेंट में यह पारस्परिक स्वीकृति है कि कंपनी के असुरक्षित ऋण में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तन के पूर्व बैंक से इस संबंध में लिखित स्वीकृति लेगी। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर मिड कारपोरेट ब्रांच ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स की तिथि से पहले आईसीडी लेने के संबंध में कोई लिखित स्वीकृति नहीं ली। उक्त प्रकार से स्वीकृति लेने हेतु लोन एग्रीमेंट के

अनुसार प्रोस्पेक्ट्स में कथन किया गया है। अतः प्रोस्पेक्ट्स में उपरोक्त प्रकार से दिए गए स्टेटमेंट कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 65 (1) के क्लॉज के अनुसार अनटू की परिभाषा में आता है एवं प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यात्मक रूप से झूठे हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय है। कंपनी के विरुद्ध आईपीओ के संबंध में सेबी के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी। सेबी द्वारा किये गये अनुसंधान के दौरान कंपनी के निदेशक ने यह सूचित किया कि कंपनी ने दिनांक 23.05.2011 को रुपये एक करोड हैराल्ड कॉमर्स लिमिटेड एवं 09.06. 2011 को रुपये 75,00,000/– बाहुबली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से आईसीडी ली। उक्त आईसीडी माह सितम्बर 2011 से पूर्व ली गई थी, किन्तु उक्त आईसीडी का खुलासा प्रोस्पेक्ट्स में अनसिक्योर्ड लोन्स मद के अंतर्गत नहीं किया गया था। इस बाबत यह भी पाया कि माह मई व जून 2011 में उपरोक्त ली गई आईसीडी के बारे में मर्चेन्ट बैंकर्स के समक्ष कोई खुलासा नहीं किया गया था। कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रकार से किये गये कार्य को अप्रूव करने हेतु कोई बोर्ड भीटिंग नहीं की गई थी, इस संबंध में कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2011

द्वारा मर्चेन्ट बैकर्स को इस प्रकार सूचित किया कि वर्तमान में इस तरह की कोई भौतिक प्रगति नहीं है जो कि कंपनी के संचालन एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हो। इस प्रकार कंपनी एवं इसके निदेशकगण द्वारा उपरोक्त प्रकार से ली गई दो आईसीडी का विवरण प्रोस्पेक्ट्स में नहीं देना व मर्चेन्ट बैंकर्स को इस बारे में कोई सूचना प्रेषित नहीं करना कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन की परिधि में आता है। कंपनी द्वारा इसके विस्तार एवं विविधिकरण प्रोजेक्ट में आयतित एवं स्वदेशी मशीनरी हेतु कमश रुपये 50.25 करोड एवं रुपये बारह करोड राशि प्रस्तावित थी। इसी कम में कंपनी ने लगभग रुपये 10. 13 करोड विदेशी मशीनरी एवं रुपये 5.76 करोड स्वदेशी मशीनरी पर दिनांक 15 जुलाई 2011 तक खर्च किये। आईपीओ फण्ड्स एवं इसके उपयोग से संबंधित स्टेटमेंट से यह प्रकट होता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्ट्स में दर्शाई गई राशि के अनुसार आयातित एवं स्वदेशी मशीनरी पर खर्च नहीं किये एवं प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये एवं तथ्यों को छिपाया जो कंपनी अधिनियम

1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उपरोक्त उल्लंघन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर निरीक्षण अधिकारी ने पत्र कमांक त्ब्/पदेचद/209।/22828/2012–13/2035 दिनांक 31.12.2013 द्वारा कंपनी एवं उसके डाइरेक्टर्स से स्पष्टीकरण मांगा जिसका दिनांक 13.02.2014 को जवाब दिया गया जो असंतोषजनक पाया गया। उक्त उल्लंघन के लिए परिवादी कार्यालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया गया था जिसका कोई जवाब परिवादी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित करने की कृपा करे।

2. उक्त परिवाद पत्र पर नियमानुसार जांच के उपरांत दिनांक 20.01.2015 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

3. अभियुक्तगण को कम्पनी अधिनियम की धारा 63, 68, 628 का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 63, 68, 628 का आरोप पृथक् से विरचित कर

सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन–समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू.–1 इमरान अहमद सिद्दकी, पी.ड. 2 रमेश कुमार मीना, पी.ड. 3 बनवारी लाल शर्मा की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा चार्ज पश्चात् गवाह पी.ड. 3 बनवारी लाल शर्मा के बयान पुनः लेखबद्ध किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन, प्रदर्श पी–2 प्रोस्पेक्ट तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड, प्रदर्श पी–3 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् जयपुर द्वारा रीजनल डाइरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोरपोरेट अफेयर्स अहमदाबाद को लिखा गया पत्र दिनांकित 20.03.2014, प्रदर्श पी–4ए कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्, जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांकित 31.12.2013, प्रदर्श पी–5ए तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जयपुर को लिखा गया पत्र दिनांकित 13.02.2014, प्रदर्श पी–6ए से पी 11ए शॉ कॉज नोटिस, प्रदर्श पी–12 एनुअल रिटर्न, प्रदर्श पी–13 परिवाद, प्रदर्श पी 14 से प्रदर्श पी–18 सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 21() ऑफ द

बैंकर्स बुक्स ऑफ एवीडेंस एक्ट 1891 प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुये निर्दोष होना व झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि आईसीडी और उसके पुनर्भुगतान के संबंध में उन्होंने पासपोर्ट में झूठे तथ्य अंकित नहीं किये हैं इश्यू से संबंधित कोई झूठे बयान प्रोस्पेक्ट में नहीं किया गया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, इस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

6 यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद दण्डादेश पारित किया :–

:: दण्डादेश ::

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016

2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006

6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी–6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016 को धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप धारा 63 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 3,000/– (तीन हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम

अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे।

धारा 68 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (03 वर्ष 06 माह) तीन वर्ष छह माह का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 6,000/– (छह हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (06) छह माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे।

धारा 628 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 5,000/– (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस / विभागीय व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अभिरक्षा अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्तगण का

सजा वारन्ट बनाया जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदत्त की जावे।

यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश व दण्डादेश दिनांक 17.03.2026 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण यह अपील निम्न आधारों के अलावा अन्य आधारों पर श्रीमान् के समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत करते है :–

अपील के आधार

1- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो का सही विवेचन नही कर आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.03.2026 पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन ना करके मात्र अभियोजन की कहानी को विश्वसनीय मानकर निर्णय व दण्डादेश पारित कर कानूनी भूल की है जबकि लेशमात्र साक्ष्य पत्रावली पर अपीलार्थीगण के विरूद्ध उपलब्ध नही है इसलिए भी

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.03.2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय अधिनस्थ न्यायरलय के समक्ष कथन किया कि जहां तक धारा 628 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है उक्त धारा के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध केवल किसी सब्सकाइबर द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत स्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं बनता है। परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

4- यह कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय अधिनस्थ न्यायरलय के समक्ष कथन किया कि आज दिनांक तक आरओसी द्वारा किसी भी सब्सक्राइबर द्वारा की गई कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह

स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। अतः इस आधार पर धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अपराध बनना सम्भव नही है। परिवादी के परिवाद का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

5- यह कि मानीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर भी गौर नही किया कि यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्ट्स में कोई असत्य / मिथ्या कथन किया गया जो कि मेटेरियल फैक्ट है एवं उसको दर्शाने की Statutory या Ligal requirement है अथवा नहीं। मात्र इस आधार पर कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राप्त धनराशि का निवेश या

उपयोग नहीं किया गया है यह 4 नहीं माना जा सकता कि उक्त धाराओं का उल्लंघन हुआ है। इसलिए भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6- यह कि मानीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर भी गौर नही किया कि प्रोस्पेक्ट्स में कथन करना तथा उसके पश्चात् उसमें किए गए तथ्यों का पालन न किया जाना दोनों पृथक एव अलग–अलग विषय है। परिवादी पक्ष की ओर से मनमाने तरीके से अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसलिए भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

7- यह कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय अधिनस्थ न्यायरलय के समक्ष कथन किया कि अभियुक्तगण की ओर से दौराने बहस कथन किया कि कंपनी को परिवाद में पक्षकार नहीं बनाया है। कंपनी के अपराधों

के संबंध में परिवाद सीधे तौर पर निदेशकों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया हो। परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

8- यह कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय अधिनस्थ न्यायरलय के समक्ष कथन किया कि प्रकरण परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया है अतः परिवाद खारिज किये जाने का कथन किया। परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नही कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

9- यह कि अपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निम्न आशय की लिखित बहस प्रस्तुत की :-

1- यह कि वर्तमान परिवाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (ROC) द्वारा कम्पनी तिजरिया पोलिपैईप्स के निदेशकों के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने वर्ष 2011 में Initial Public Offer (IPO) लाते समय अपने प्रॉस्पेक्टस में झूठे / गलत कथन किए तथा IPO के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का दुरुपयोग किया।

2. यह कि वर्तमान परिवाद परिवादी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अभियुक्त कंपनी तथा उसके निदेशकों द्वारा उक्त धाराओं के उल्लंघन के आरोप में दायर की गई है। यह कि उक्त धराये जिनके तहत परिवादी ने यह परिवाद दायर किया है, नयायलय की सुविधा के लिए निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

63. *CRIMINAL LIABILITY FOR MIS-STATEMENTS IN PROSPECTUS*

(*1)* Where a *prospectus* issued after the *commencement of* this *Act includes* any *untrue statement, every person who* authorised the issue of the *prospectus shall be punishable with*

imprisonment for *a* term *which may* extend *to two* years*, or with* fine *which may* extend *to 1 [fifty]* thousand *rupees, or with both*, *unless* he proves *either* that the *statement* was *immaterial or* that *he* had reasonable *ground to* believe, and *did up* to *the time of* the issue *of* the *prospectus believe,* that the statement *was true.*

(2) A person shall *not be deemed* for the *purposes of this section to* have authorised the issue *of* a *prospectus by reason only of* his *having given - (a)* the consent required *by section 58 to* the inclusion *therein of* a statement *purporting to be made by him* as *an expert, or (b) the consent required by sub-section* (3) *of section 60.*

68. PENALTY FOR FRAUDULENTLY INDUCING PERSONS TO

INVEST MONEY

Any person who, either by knowingly or recklessly making *any statement, promise or* forecast *which* is false*, deceptive or misleading, or by* any *dishonest concealment of* material *facts,* induces or attempts *to induce* another person *to* enter *into, or to offer to enter into* - (a) any agreement *for, or with a view to, acquiring, disposing of, subscribing for, or underwriting* shares

or debentures*; or (b*) any *agreement* the *purpose or pretended purpose of which* is to *secure a profit to* any *of the parties from the yield of* shares *or debentures, or by reference to* fluctuations in the value *of* shares *or debentures;* shall *be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which* may *extend to 1 [one lakh] rupees, or with both.*

628. PENALTY FOR FALSE STATEMENTS

If in any return, *report,* certificate*,* balance sheet*, prospectus,* statement *or other document required by or* for *the purposes of any of* the *provisions of this Act*, any person makes *a statement - (a) which is false* in any *material particular, knowing it to* be false*; or (b) which omits* any material *fact, knowing it to be* material*;* he shall, save as otherwise *expressly provided in* this *Act, be* punishable *with imprisonment for a term which may extend to two* years*,* and *shall also be* liable *to fine.*

यह कि उपर्युक्त धारा 63 के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध तभी बनता है, जब प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत अथवा झूठा कथन किया गया हो। इसी प्रकार, धारा 628 के अंतर्गत अपराध तब ही बनता है जब प्रॉस्पेक्टस में किसी मटेरियल **पर्टिकुलर** के संबंध में गलत अथवा झूठा कथन किया

गया हो, अथवा किसी **मटेरियल फैक्ट** को जानबूझकर एवं जानते हुए छुपाया गया हो। इसके अतिरिक्त, धारा 68 के अंतर्गत अपराध तभी बनता है, जब किसी सब्सक्राइबर को आकर्षित करने के उद्देश्य से जानबूझकर *(knowingly)* गलत तथ्यों का कथन किया गया हो। केवल इस आधार पर कि **प्रॉस्पेक्टस की** शर्तों **का पालन** नहीं **किया गया,** इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

3. यह कि जहाँ तक धारा 628 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, उक्त धारा के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध केवल किसी सब्सक्राइबर द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई *locus* standi नहीं बनता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक ROC द्वारा किसी भी सब्सक्राइबर द्वारा की गई कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। अतः इस आधार पर धारा 628 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अपराध बनना संभव नहीं है। Even otherwise, यह कथन करना अनिवार्य है की उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत, जिनके

तहत वर्तमान परिवाद दायर किया गया है, उनका स्कोप बहोत ही लिमिटेड है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में कोई असत्य/मिथ्या कथन किया गया है जो की material fact है एवं उसको दर्शाने की statutory या legal requirement है अथवा नहीं । मात्र इस आधार पर कि कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राप्त धनराशि का निवेश या उपयोग नहीं किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त धाराओं का उल्लंघन हुआ है। प्रॉस्पेक्टस में कथन करना तथा उसके पश्चात उसमें किए गए तथ्यों का पालन न किया जाना, दोनों पृथक एवं अलग अलग विषय हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों का दायित्व एवं ज़िम्मेदारी तभी उत्पन्न होता है जब प्रॉस्पेक्टस में किए गए कथन असत्य या झूठे हों, न कि उन मामलों में जहाँ कंपनी ने बाद में उन कथनों के अनुसार कार्य नहीं किया हो।

4- यह कि वर्तमान वाद अधिकतम रूप से केवल प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित टर्म्स की अनुपालना न करने का मामला है जो की परिवाद के Para No. 5 से 12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है, न कि प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के मिथ्या / गलत अथवा असत्य कथन का। यह तथ्य स्वयं परिवाद में किये गए कथनों से स्पष्ट है, जिसमें केवल यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा आईपीओ (IPO) के माध्यम से raise की गयी धनराशि का उपयोग प्रॉस्पेक्टस में वर्णित शर्तों के अनुरूप नहीं किया गया है। अतः उक्त केस धारा 63, 68 एवं 628 को आकर्षित करने हेतु आवश्यक अनिवार्य तत्वों को पूर्ण नहीं करता । परिणामस्वरूप, वर्तमान परिवाद भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

5. यह की इस सम्बन्ध में ***Dr. T.* H. Chowdary Vs. Registrar of Companies & *Anr.* (2014*) 182* Comp Cas *13*** पर reliance place की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:-

"21. *Curiously,* this is an *activity of the company* after *receipt* of *money through public issue. I am afraid that if*

the company did not invest the *monies* in the manner *as promised in the prospectus,* it cannot *be considered to* be *a violation of statement in* the *prospectus*. *The* issuance *of* a statement *through the prospectus* and *not abiding by the promises made* in the *prospectus* are *two* distinct activities *altogether. So* far as *sections* 63*, 68 and 628 of* the Act *are concerned,* ***the directors become liable for punishment if*** **the statements *in the prospectus* are not *true and not* if the statements made *in* the *prospectus* have not been *adhered* to by the *company*.** I *therefore, regret my* inability *to agree with* the *contention of the* learned *Assistant Solicitor General that the statements made in* the *prospectus* have *not been carried out, which* is *evident through* various subsequent balance sheets and *that* petitioner- *accused No. 2,* as a *director of accused* No. 1 company *consequently* is liable *for punishment under* sections *63, 68 and 628 of the Act."*

Mohan Das Shenoy Adige Vs. **Securities *and***

Exchange Board of India (*2021 SCC *Online SAT 263) R reliance

place की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:-

"20.....*If* the *IPO proceeds* were *not utilized in the manner stated in the prospectus it doesnot mean* that the subsequent *action* taken *by* the *Company indicates* that *there* was *a* misstatement *in* the *prospectus*. *At* best one *could come to the*

conclusion that there was a violation of the *terms and*

conditions of the prospectus with regard to the *use of funds*.

25. *The finding* given *by the WTM for* usage *of* the *word 'corporate' in* the *resolution of* the *Board of Directors to indicate that the disclosures so made* lacked *material particulars* and were *untrue* and inadequate *and further* that *such misstatement in the prospectus* was *deliberate* and *part of a larger design to come out with* an *IPO* and *divert* the *IPO proceeds through ICDS to group companies from* the *very inception* is *patently perverse* apart *from being* based *on surmises and conjectures*. ***In our opinion*****, a *subsequent* event/decision *by the Company cannot lead* to an adverse inference being *drawn nor* can it *lead* to a *conclusion* that the *prospectus* of *the Company* was *misleading* the subscribers.**

Such finding is based on no evidence. ***If*** **a statement made in the** ***prospectus*** **is not** ***adhered*** **to** ***by the Company it*** **does not** ***become a*** **misstatement.** ***At*** **best** ***it*** **can be a case** ***of the Company violating*** **the terms and conditions of the** ***prospectus*****.** *Thus,*

the *finding* that the *disclosures made in* the *prospectus were deliberately lacking in* material *particulars and* were *inadequate is patently erroneous."*

6- यह कि परिवादी ने अपने परिवाद में यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्तगण द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है, यह कहते हुए कि अभियुक्तगण ने उस बोर्ड रेज़ोलुशन का विवरण नहीं किया, जो प्रॉस्पेक्टस की तिथि से मात्र दो दिन पहले अर्थात् 10.09.2011 को पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा Rs. 12.5 करोड़ की राशि का ऋण (इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट) लिया गया । यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त लेन-देन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में प्रकट नहीं की गई थी।

यहाँ यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि दिनांक 10.09.2011 को केवल एक बोर्ड रेज़ोलुशन धारा 292 ऑफ़ Companies

Act, 1956 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसके द्वारा कंपनी तिजारिया पॉलीपाइप्स को ऋण (loan) प्राप्त करने हेतु अधिकृत (authorise) किया गया था। यहाँ यह उलेख्खिये है की, प्रॉस्पेक्टस की तिथि से पूर्व कंपनी में कोई भी ऋण राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त प्रस्ताव मात्र board of directors को loan लेने हेतु दी गई एक अनुमति थी, न कि कोई पूर्ण अथवा निष्पादित लेन-देन। अतः ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसका disclosure करना अनिवार्य था, और जिसे किसी भी रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना (material concealment) नहीं कहा जा सकता है। Without Prejudice, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस के **Page No. 149** पर कंपनी द्वारा निदेशकों की उधार लेने की शक्तियों ***(*Details of Borrowing Powers of Directors*)*** का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार board of directors ₹20,000 लाख तक की सीमा के भीतर किसी भी राशि का loan ले सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि न तो किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है और न ही कोई material concealment की गई है, क्योंकि ऋण लेने की power का स्पष्ट उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया गया है तथा कथित राशि उक्त सीमा के अंतर्गत आती है।

7. यह कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह आरोप भी लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स (ICD) लिए थे तथा आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उक्त ICD के भुगतान हेतु किया गया, जिसका उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में नहीं था, और इस आधार पर इसे मिथ्या कथन एवं भोतिक तथ्यों को छिपाना बताया गया है। यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि प्रॉस्पेक्टस के इशू की तिथि से पूर्व कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट (Inter-Corporate Deposit) प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि admittedly केवल एक बोर्ड रेज़ोल्यूशन ही पारित किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रॉस्पेक्टस में इंटर- कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण का उल्लेख करने का कोई अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ। Even Otherwise, without prejudice यह कथन किया जाता है की इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स का उल्लेख न किया जाना अपने-आप में किसी भी प्रकार का मिथ्या अथवा असत्य कथन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस में funds के अंतरिम उपयोग (interim use of funds) के अंतर्गत 'ICD' शब्द का विशेष रूप से उल्लेख

नहीं किया गया, इसे न तो प्रॉस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन (misstatement) कहा जा सकता है और न ही इसे इस आशय से जोड़ा जा सकता है कि IPO लाने के पश्चात group कंपनी के संचालन के लिए इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के माध्यम से धनराशि का गलत उपयोग अथवा उसे *siphon off* कर लिया गया है। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, अभियुक्तगण **Mohan Das Shenoy *Adige Vs.* Securities *and Exchange Board* of *India* (2021 SCC *Online* SAT *263)*** के निर्णय पर निर्भर करते हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:-

"21. *.... The mere* fact *that the word "ICDs" was not indicated specifically in* the *interim use of funds in the prospectus does not* mean that the *interim* use *of* funds *cannot be deployed in* the *ICDs* and *can only* be *deployed to such instruments which* were *indicated in* the *prospectus*.

22. *In P.G. Electroplast v. SEBI,* in appeal no. *281 of 2017 decided on 25th June, 2019* the *appellant, in* the *said* case, *had disclosed in the prospectus* that the *Company*

intended to invest the *IPO proceeds in* an interest bearing *instrument.* The *Company subsequently* invested the *IPO proceeds in ICDs which* was *objected by SEBI. This Tribunal held* that **non mention *of ICDs* in the prospectus was *only technical* and it cannot be a case *of misstatement.***

23. ....*merely* because *the word 'ICD'* was not *mentioned in* the *interim* use of funds in the prospectus does not become a case *of* misstatement *in* the prospectus *nor* does *it* become a *deliberate* part of larger design to come *out with* an IPO and, thereafter, *funding* the operations of its *group company through ICDs* thereby *siphoning of* the *money from the genuine investors."*

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारण से कि प्रॉस्पेक्टस में "ICDS " शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसे किसी भी प्रकार का मिथ्या कथन/असत्य कथन अथवा भौतिक तथ्यों का छिपाना नहीं माना जा सकता है। अतः वर्तमान वाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत नहीं आता है और परिणामस्वरूप परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है तथा लागत सहित खारिज किया जाना

चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से प्राप्त धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है।

8- यह की RoC/परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने बैंक के साथ सहमत शर्तों के उल्लंघन में कंपनी में deposits स्वीकार किए हैं। यह तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा कथित रूप से ऋण (loan) लिए जाने के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा आज तक कोई भी शिकायत नहीं की गई है। अतः परिवादी द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे माननीय न्यायालय को भ्रमित किया जा सके, और

यह सब अभियुक्तों के हितों को नुकसान पहुँचाने की बुरी नीयत से किया गया है। है

9. यह यहाँ और अधिक महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख करना आवश्यक है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के Schedule II में निर्दिष्ट प्रारूप / नियमों के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में केवल पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों से संबंधित डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है। उपर्युक्त के आलोक में यह कहा जाता है कि वर्तमान मामले में कथित बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 10.09.2011 को पारित किया गया था, अर्थात प्रॉस्पेक्टस दायर करने से केवल दो दिन पूर्व। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची ॥ के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में ऐसे किसी भी बोर्ड प्रस्ताव का विवरण देने की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त राशियों के संबंध में किए गए कथनों पर भी समान रूप से लागू होता है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उक्त राशियाँ 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्राप्त हुई थीं, अतः उनका विवरण प्रॉस्पेक्टस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि केवल पिछले 5 financial years तक का डेटा प्रस्तुत करना ही

आवश्यक था, जिसकी पलना कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस के Page 174 पर पूर्व में विधिवत रूप से किया जा चुका है। उक्त तथ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की Schedule - II में सम्मिलित प्रॉस्पेक्टस के नियम / फ़ॉर्मेट के तहत Financial Information के अंतर्गत उप-धारा 2 (a) और (b) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। संदर्भ हेतु उक्त प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

"2. If the Company has *no subsidiaries,* the *report* shall- *a) so* far as *regards profits* and losses, deal *with* the *profits or* losses *of* the *company (distinguishing* items *of* a *non-recurring nature*) for each of ***five financial years immediately*** **preceding the issue of the *prospectus;*** and *b) so* far as *regards* the assets and *liabilities, deal with* the assets and liabilities *of the company* **at the last *date* to *which* the accounts of the *company*** were *made up."*

अतः यह कोई महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं है और न ही किसी प्रकार का किसी महत्वपूर्ण सूचना का दमन हुआ है। Without Prejudice, यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि परिवादी

द्वारा उक्त धनराशि के पुनर्भुगतान को IPO से प्राप्त आय से किए जाने के संबंध में कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है।

10. यह कि समस्त परिवाद स्वयं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर आधारित है, और वह भी लगभग तीन वर्षों की देरी के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन हेतु निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि अभियोजन में परिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे। हालांकि, प्रस्तुत मामले में परिवादी इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। इसी आधार पर ही प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध करने में असफलता प्रदर्शित की है।

11. यह तथ्य है कि कंपनी के किसी भी शेयरहोल्डर/सब्सक्राइबर द्वारा कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के छुपाव, झूठे कथन या गलत विवरण के संबंध में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, न ही प्रॉस्पेक्टस के कारण

किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ है। यह तथ्य **श्री** आर. के. मीना ***PW-***

2, (अधिकारी जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की), के cross-examination से भी स्पष्ट है। उन्होंने साक्ष्य में कहा कि :

उन्हें याद नहीं कि कंपनी ने अन्य संस्थाओं से ऋण लिया था या उन राशियों का भुगतान अन्य कंपनियों को किया गया था।

उन्हें याद नहीं कि कंपनी की किसी क्रिया के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ हो।

उन्हें याद नहीं कि कंपनी द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के गलत विवरण या महत्वपूर्ण छुपाव के आरोप में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की गई हो। अर्थात, कोई शिकायत नहीं हुई।

उन्हें ऋण राशियों के भुगतान की तिथि या अवधि याद नहीं है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न तो किसी शेयरहोल्डर को कोई हानि हुई और न ही

किसी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई जिस कारण वर्ष उक्त परिवाद ख़ारिज होने योग्य है।

12. यह कथन करना अनिवार्य है की प्रस्तुत वाद में परिवादी ने केवल कंपनी के निदेशकों को पक्षकार बनाया है, जबकि कंपनी को स्वयं पक्ष नहीं बनाया गया है। इस कारणवश, प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि कंपनी के अपराधों के संबंध में की किया गया परिवाद सीधे तौर पर निदेशकों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि कंपनी को स्वयं अभियुक्त पक्ष नहीं बनाया गया हो। अतः, प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाना योग्य है।

13- यह की उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि परिवादी इस बात को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत विवरण प्रस्तुत किया या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया हो, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 और 628 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त हो जिस कारंवर्ष उक्त परिवाद ख़ारिज होने योग्य है।

1. **WITHOUT PREJUDICE TO THE ABOVE, THE PARAWISE REPLY OF THE WRITTEN ARGUMENTS FILED BY THE COMPLAINANT ROC IS AS UNDER:-**

यह कि Para No. 1 से 3 में लिखित तथ्य असत्य, तुच्छ एवं मनमाने हैं, एंव खारिज किये जाने योग्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त para में किए गए दावों के परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 और 628 के अंतर्गत कोई मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः उक्त कंपनी के निदेशकों पर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। यह कथन करना अनिवार्य है की कंपनी ने विधिवत रूप से प्रॉस्पेक्टस जारी किया है, जिसमें न तो किसी प्रकार का असत्य / झूठा कथन किया गया है और न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया है, क्योंकि सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से अंकित की गई हैं। प्रॉस्पेक्टस कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए तैयार किया गया है। अतः इस संबंध में कोई आपराधिक या कानूनी मामला सिद्ध नहीं होता । साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि परिवाद स्वयंसिद्ध रूप से असंगत और योग्य नहीं है, तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि

यह केवल कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध दायर किया गया है, जबकि परिवाद से स्पष्ट होता है की उक्त परिवाद कंपनी द्वारा किया गए आरोपित अपराध के बारे में है, और कंपनी को स्वयं पक्ष नहीं बनाया गया है।

2. यह कि Para No. 4 में कथन किये गए आरोपों को अस्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा प्रॉस्पेक्टस में न तो कोई असत्य कथन / गलत विवरण किया गया है और न ही IPO हेतु आवेदन करने के लिए सब्सक्राइबरों को गुमराह करने के उद्देश्य से किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छुपाव किया गया है। फिर भी, without prejudice, यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सकारात्मक अथवा आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करना, अपने आप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अपराध नहीं बनाता, क्योंकि उक्त धाराओं के आवश्यक तत्व इस मामले में पूर्ण नहीं होते है। यह स्पष्ट है कि परिवादी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान परिवाद लेकर आया है तथा माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

3. यह कि Para No. 5 के तथ्यों का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। उपर्युक्त प्रारंभिक प्रस्तुतियों के आलोक में यह पुनः दोहराया

जाता है कि प्रॉस्पेक्टस के इशु की तिथि को कंपनी द्वारा इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के नाम पर कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी। उस समय केवल निदेशक मंडल द्वारा भविष्य में ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी को अधिकृत करने के उद्देश्य से एक बोर्ड रेज़ोलुशन पारित किया गया था। अतः ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसका disclosure करना अनिवार्य था, और जिसे किसी भी रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना (material concealment) नहीं कहा जा सकता है। यहाँ यह कथन करना भी उचित होगा कि जिस बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर संपूर्ण परिवाद प्रस्तुत किया गया है, वह उक्त बोर्ड प्रस्ताव आज दिनांक तक परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Without Prejudice, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रॉस्पेक्टस के **Page No. 149** पर कंपनी द्वारा निदेशकों की उधार लेने की शक्तियों ***(*Details of Borrowing Powers *of* Directors*)*** का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार board of directors ₹20,000 लाख तक की सीमा के भीतर किसी भी राशि का loan ले सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि न तो किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है और न ही कोई material concealment की गई है, क्योंकि ऋण लेने की

power का स्पष्ट उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में किया गया है तथा कथित राशि उक्त सीमा के अंतर्गत आती है।

4. यह कि Para No. 6 से 8 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्रॉस्पेक्टस में अभियुक्तों द्वारा कोई भी असत्य कथन अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशु होने की तिथि से पहले कंपनी द्वारा कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से प्राप्त धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है। Without Prejudice, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि मात्र प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग न किया जाना मात्र से कंपनी अधिनियम,

1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत कोई अपराध स्थापित नहीं होता। यह की इस सम्बन्ध में ***Dr. T. H.*** **Chowdary Vs. Registrar of Companies &** ***Anr.*** **(*2014)* 182 *Comp* Cas *13*** पर reliance place की जा रही है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:-

"*21.* *Curiously,* this is an *activity of the company* after *receipt of money through public* issue. *I am* afraid *that if the company did not invest* the *monies* in the manner as *promised in* the *prospectus*, it *cannot be considered to* be *a* violation *of statement in the prospectus*. *The* issuance *of* a *statement through the prospectus and not abiding by* the *promises made in the prospectus* are *two distinct* activities *altogether. So* far as *sections 63, 68 and* 628 *of* the Act *are concerned,* **the *directors* become *liable for punishment if the statements in the prospectus* are *not* true and *not* if the statements *made in the prospectus* have not been *adhered* to by the *company*.** / *therefore, regret my inability to agree with* the contention *of the learned Assistant Solicitor* General that *the statements made in* the *prospectus* have *not been* carried *out, which* is *evident through* various *subsequent* balance *sheets* and *that petitioner-*

accused No. 2, as a *director of accused* No. 1 company *consequently* is liable *for punishment under sections 63, 68 and 628 of* the *Act.*

यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि उक्त परिवाद परिवादी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 65 के अंतर्गत दायर ही नहीं किया गया है तथा इसे केवल धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत ही दायर किया गया है। अतः इस कारणवश, धारा 65 के अंतर्गत परिवादी द्वारा किए गए किसी भी कथन को अभिलेख पर लिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

5- यह कि Para No. 9 एवं 10 की विषयवस्तु का उक्त प्रकार से खंडन किया जाता है। यह किया जाता है की संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से प्राप्त धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग

पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है। अन्य सभी कथनों/आरोपों का पूर्णतः खंडन किया जाता है।

6- यह कि Para No. 11 की विषयवस्तु को पूर्णतः manipulated एवं misconceived बताते हुए कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। यह कि उपर्युक्त प्रावधानों का साधारण रूप से अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध तभी बनता है जब प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत / झूठा **कथन** किया गया हो अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया हो । केवल इस आधार पर कि **प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का पालन** नहीं **किया गया,** इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत, जिनके तहत वर्तमान परिवाद दायर किया गया है, उनका स्कोप बहोत ही लिमिटेड है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में कोई असत्य / मिथ्या कथन किया गया है अथवा नहीं। मात्र इस आधार पर कि कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राप्त धनराशि का निवेश या उपयोग नहीं किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि

उक्त धाराओं का उल्लंघन हुआ है। प्रॉस्पेक्टस में कथन करना तथा उसके पश्चात उसमें किए गए तथ्यों का पालन न किया जाना, दोनों पृथक एवं अलग अलग विषय हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों का दायित्व एवं ज़िम्मेदारी तभी उत्पन्न होता है जब प्रॉस्पेक्टस में किए गए कथन असत्य या झूठे हों, न कि उन मामलों में जहाँ कंपनी ने बाद में उन कथनों के अनुसार कार्य नहीं किया हो ।

यह कि Para No. 12 एवं 13 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। जैसा कि उपर्युक्त प्रारंभिक प्रस्तुतियों में कहा गया है, उसी के आलोक में यहाँ पुनः यह दोहराया जाता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स (ICD) लिए थे तथा आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उक्त ICD के भुगतान हेतु किया गया, जिसका उल्लेख प्रॉस्पेक्टस में नहीं था, और इस आधार पर इसे मिथ्या कथन एवं भोतिक तथ्यों को छिपाना बताया गया है। यह उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि प्रॉस्पेक्टस के इशू की तिथि से पूर्व कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट (Inter-Corporate Deposit) प्राप्त नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रॉस्पेक्टस में

इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स से संबंधित किसी भी प्रकार के विवरण का उल्लेख करने का कोई अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ। Even Otherwise, without prejudice यह कथन किया जाता है की इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स का उल्लेख न किया जाना अपने-आप में किसी भी प्रकार का मिथ्या अथवा असत्य कथन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मात्र एक तकनीकी त्रुटि है। केवल इस आधार पर कि प्रॉस्पेक्टस में funds के अंतरिम उपयोग (interim use of funds) के अंतर्गत 'ICD' शब्द का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, इसे न तो प्रॉस्पेक्टस में कोई मिथ्या कथन (misstatement) कहा जा सकता है और न ही इसे इस आशय से जोड़ा जा सकता है कि IPO लाने के पश्चात group कंपनी के संचालन के लिए इंटर-कॉरपोरेट डिपॉज़िट्स के माध्यम से धनराशि का गलत उपयोग अथवा उसे *siphon off* कर लिया गया है।

उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, अभियुक्तगण **Mohan Das Shenoy *Adige Vs.* Securities and Exchange Board of *India* (2021 SCC *Online* SAT *263)*** के निर्णय पर निर्भर करते हैं जिसमें माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि:-

"21. *The mere fact that the word "ICDs" was not indicated*

specifically in the *interim* use *of funds in the prospectus does not mean* that *the interim use of funds cannot be deployed in the ICDs* and can *only* be *deployed to such instruments which* were *indicated in* the *prospectus*.

22. *In P.G. Electroplast v. SEBI, in appeal no. 281 of 2017 decided on 25th June, 2019* the appellant*, in* the *said* case, *had* disclosed *in the prospectus* that *the Company intended to invest the IPO* proceeds *in an* interest bearing *instrument. The Company subsequently* invested the *IPO proceeds in ICDs which* was *objected by* SEBI. *This* Tribunal *held* that ***non mention* of *ICDs* in *the* prospectus was only technical *and* it cannot be a case *of misstatement.***

23.....*merely* because *the word 'ICD'* was not *mentioned in* the *interim* use of *funds* in the prospectus does not *become* a case *of misstatement in the* prospectus *nor does it become* a deliberate *part* of larger design to come *out with* an IPO and, thereafter, *funding* the operations of its *group company through ICDS* thereby siphoning *of the* money *from* the genuine investors.″

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मात्र इस कारण से कि प्रॉस्पेक्टस में "ICDs" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसे किसी भी प्रकार का मिथ्या कथन/असत्य कथन अथवा भौतिक तथ्यों का छिपाना नहीं माना जा सकता है। अतः वर्तमान वाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 तथा 628 के अंतर्गत नहीं आता है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा बाद में लिया गया कोई भी निर्णय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि प्रॉस्पेक्टस में निदेशकों द्वारा कोई मिथ्या कथन (misstatement) किया गया था। इस संदर्भ में

Auf **Mohan Das Shenoy Adige Vs. Securities and**

Exchange* Board of *India* (2021 SCC *Online* SAT *263) G

है—

"25. *In our opinion,* **a *subsequent event*/decision *by the Company* cannot lead to an adverse inference being *drawn nor* can it lead to a conclusion that the prospectus *of the Company* was *misleading* the subscribers**. *Such finding is* based *on no* evidence. ***If* a statement made in the prospectus is not *adhered* to *by the Company it* does not *become a* misstatement.** *At best* it *can* be a case *of the Company violating*

the *terms* and *conditions of the prospectus*. *Thus, the finding* that *the* disclosures made *in the prospectus were deliberately lacking in* material *particulars* and were *inadequate is patently erroneous."*

परिणामस्वरूप परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है तथा लागत सहित खारिज किया जाना चाहिए।

8. यह कि Para No. 14 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। यह की तथ्यात्मक रूप से यह स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा कथित रूप से ऋण (loan) लिए जाने के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा आज तक कोई भी शिकायत नहीं की गई है। अतः परिवादी द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे माननीय न्यायालय को भ्रमित किया जा सके, और यह सब अभियुक्तों के हितों को नुकसान पहुँचाने की बुरी नीयत से किया गया है। अन्य सभी कथनों/आरोपों का पूर्णतः खंडन किया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई *locus standi* नहीं बनता है।

9. यह कि Para No. 9 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। जैसा कि पूर्वोक्त para में कहा गया है, उसी के आलोक

में यहाँ पुनः यह दोहराया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के Schedule II में लिखे प्रारूप / नियमों के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में केवल पिछले पाँच वित्तीय वर्षों से संबंधित डेटा का ही खुलासा करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान दिनांक 23.05.2011 एवं 09.06.2011 को प्राप्त राशियों के संबंध में किए गए कथनों पर भी समान रूप से लागू होता है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उक्त राशियाँ 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् (subsequent) प्राप्त हुई थीं, अतः उनका विवरण प्रॉस्पेक्टस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य नहीं था क्योंकि केवल पिछले 5 financial years तक का डेटा प्रस्तुत करना ही आवश्यक था, जिसकी पलना कंपनी द्वारा प्रॉस्पेक्टस के Page 174 पर पूर्व में विधिवत रूप से किया जा चुका है। उक्त तथ्य कंपनी अधिनियम, 1956 की Schedule - II में सम्मिलित प्रॉस्पेक्टस के नियम/फ़ॉर्मेट के तहत Financial Information के अंतर्गत उप-धारा 2 (a) और (b) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। संदर्भ हेतु उक्त प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

"2. *If the Company* has *no* subsidiaries, the *report shall-*

a) *so far* as *regards profits and losses*, *deal with the profits or* losses *of the company (distinguishing items of a non- recurring* nature) *for* each *of* **five *financial* years *immediately preceding the issue of the prospectus*;** *and*

b) so far as *regards* the assets and *liabilities,* deal *with the* assets and *liabilities of the company* **at the last date *to which* the accounts of the *company*** were made *up."*

अतः यह कोई महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं है और न ही किसी प्रकार का किसी महत्वपूर्ण सूचना का दमन हुआ है। Without Prejudice, यहाँ यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि परिवादी द्वारा उक्त धनराशि के पुनर्भुगतान को IPO से प्राप्त आय से किए जाने के संबंध में कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है।

10. यह कि Para No. 16 की विषयवस्तु को पूर्णतः manipulated एवं misconceived बताते हुए खंडन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्रॉस्पेक्टस में अभियुक्तों द्वारा कोई भी असत्य कथन अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशु होने की तिथि से पहले कंपनी द्वारा कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित राशि का उपयोग स्वयं प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया गया था, क्योंकि उक्त राशि का प्रयोग expansion के उद्देश्य से मशीनरी की खरीद हेतु किया गया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कंपनी द्वारा बाद में जो ऋण प्राप्त किया गया था, उसका उपयोग मशीनरी की खरीद के लिए किया गया तथा जब IPO प्रोसिड्स से प्राप्त धनराशि प्राप्त हुई, तब उसी का उपयोग उक्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्णतः प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुरूप ही किया गया है। Without Prejudice, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि मात्र प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग न किया जाना मात्र से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत कोई अपराध स्थापित नहीं होता। यह कि परिवादी बार-बार असत्य, तुच्छ और निराधार तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, जिसका दुर्भावनापूर्ण (mala-fide) इरादा केवल माननीय न्यायालय को भ्रामक जानकारी देने और अभियुक्त के हितों को हानि पहुँचाने का है।

11- यह कि Para No. 17 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। यह कहा जाता है कि इस para की विषयवस्तु को

पूर्वोक्त पैराग्राफ में किए गए कथनों तथा प्रारंभिक प्रस्तुतियों के आलोक में खंडित किया जाता है। तथापि, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समस्त परिवाद स्वयं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (ROC) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर आधारित है, और वह भी लगभग तीन वर्षों की देरी के पश्चात प्रस्तुत की गई है, जिसे अभियोजन हेतु निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि अभियोजन में परिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे। हालांकि, प्रस्तुत मामले में परिवादी इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। इसी आधार पर ही प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को संदेह से परे सिद्ध करने में असफलता प्रदर्शित की है। यही नही आगे यह तथ्य भी अंकित करना अनिवार्य है कि कंपनी के किसी भी शेयरहोल्डर/सब्सक्राइबर द्वारा कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के छुपाव, झूठे कथन या गलत विवरण के संबंध में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, न ही प्रॉस्पेक्टस के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ है। यह तथ्य **श्री आर. के**. मीना

PW-2, (**अधिकारी जिन्होंने जांच** रिपोर्ट तैयार **की)**, के cross-examination से भी स्पष्ट है। उन्होंने साक्ष्य में कहा कि:

उन्हें याद नहीं कि कंपनी ने अन्य संस्थाओं से ऋण लिया था या उन राशियों का भुगतान अन्य कंपनियों को किया गया था।

उन्हें याद नहीं कि कंपनी की किसी क्रिया के कारण किसी भी शेयरहोल्डर को कोई नुकसान हुआ हो।

उन्हें याद नहीं कि कंपनी द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस में किसी प्रकार के गलत विवरण या महत्वपूर्ण छुपाव के आरोप में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की गई हो। अर्थात, कोई शिकायत नहीं हुई।

उन्हें ऋण राशियों के भुगतान की तिथि या अवधि याद नहीं है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न तो किसी शेयरहोल्डर को कोई हानि हुई और न

किसी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई जिस कारण वर्ष उक्त परिवाद ख़ारिज होने

योग्य है। अन्य सभी कथनों/आरोपों का पूर्णतः खंडन किया जाता है।

यह कि Para No. 18 एवं 19 की विषयवस्तु का उक्त प्रकार से खंडन किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रॉस्पेक्टस में अभियुक्त द्वारा कोई भी मिथ्या कथन (misstatement) नहीं किया गया जैसा कि परिवादी द्वारा आरोपित किया गया है। प्रॉस्पेक्टस में सभी संबंधित विवरण एवं आवश्यक जानकारी का पूर्ण रूप से खुलासा किया गया है, अतः कंपनी के निदेशकों पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। परिवादी धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत कोई मामला स्थापित करने में असफल रहा है, क्योंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार उक्त धाराओं को लागू करने की आवश्यक तथ्य पुरे नहीं होते है। वर्तमान मामला अधिकतम प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के उल्लंघन तक सीमित है और इसे धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में उक्त निर्णयों पर reliance place की जा रही है, अर्थात – ***Dr. T.H.*** **Chowdary Vs. Registrar** ***of*** **Companies** ***& Anr.***

(2014*) 182 Comp* Cas *13* and ***Mohan Das*** **Shenoy** ***Adige*** Vs.

Securities ***and Exchange Board of India*** **(*2021* SCC** ***Online SAT***

263). आगे यह कथन करना भी अनिवार्य है की यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सकारात्मक अथवा आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करना, अपने आप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत अपराध नहीं बनाता, क्योंकि उक्त धाराओं के आवश्यक तत्व इस मामले में पूर्ण नहीं होते है। इस संदर्भ में **Hemendra Prasad Nag Chowdary and Others Vs. Registrar of Companies and Another** ***(Para 10)*** निर्णय पर reliance place की जा रही है।

13. यह कि Para No. 20 की विषयवस्तु का कड़े शब्दों में खंडन किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त para में किए गए दावों के परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवादी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 और 628 के अंतर्गत कोई मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः उक्त कंपनी के निदेशकों पर किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। यह कथन करना अनिवार्य है की कंपनी ने विधिवत रूप से प्रॉस्पेक्टस जारी किया है, जिसमें न तो किसी प्रकार का असत्य / झूठा कथन किया गया है और न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया गया है,

क्योंकि सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से अंकित की गई हैं। प्रॉस्पेक्टस कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए तैयार किया गया है। अतः इस संबंध में कोई आपराधिक या कानूनी मामला सिद्ध नहीं होता । साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि परिवाद स्वयंसिद्ध रूप से असंगत और योग्य नहीं है, तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध दायर किया गया है, जबकि परिवाद से स्पष्ट होता है की उक्त परिवाद कंपनी द्वारा किया गए आरोपित अपराध के बारे में है, और कंपनी को स्वयं पक्ष नहीं बनाया गया है।

अत: माननीय न्यायालय से यह निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित बहस को रिकॉर्ड पर लेते हुए, परिवादी द्वारा दायर परिवाद को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत हर्ज़े और खर्चे सहित ख़ारिज फ़रमाया जावे ।

10- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी महत्वपूर्ण तथ्यो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का गम्भीरता से अवलोकन नही कर

आपेक्षित निर्णय एवं आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

11- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलान्ट को केवल सजा करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दे सकता था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का दण्डादेश तारीखी 17.03.2026 अपास्त किये जाने योग्य है।

12- यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगें।

13- यह कि अपील उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

14- यह कि माननीय न्यायालय को उक्त अपील सुनने एवं निर्णित करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण/ अभियुक्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.03.2026 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

स्थान अपीलार्थीगण

दिनांक

जरिये अधिवक्ता

विजय सिंह शेखावत एण्ड एसोसियट्स
एडवोकेट्स
रजिस्ट्रेशन नं. आर.–718/2001
ई–मेल : vssadv@mail.com
मोबाईल नं. : 9414047473
एडवोकेट्स

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर

स्थगन प्रार्थना संख्या...../2026

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016

2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006

6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी–6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016

---अभियुक्तगण/अपीलार्थी

बनाम

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक
2. कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान जयपुर

---प्रत्यर्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 430 बी.एन.एन.एस. बाबत् स्थगित किये जाने दण्डादेश

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि उक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा हैं।
2. यह कि उक्त अपील में वर्णित तथ्यों को स्थगन प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। मात्र रिपिटेशन होने के कारण फौजदारी अपील के आधारों को उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित नहीं किया जा रहा हैं।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को स्थगित नही किया गया तो अपील में उठाये गये विधिक बिन्दुओं का निस्तारण नही हो सकेगा व अपील दायर करने का मकसद ही फौत हो जायेगा।

4. यह कि उपरोक्तानुसार प्रार्थी /अभियुक्त का प्रथम दृष्टया केस बखुबी साबित है यदि दण्डादेश स्थगित नही किया गया तो प्रार्थी /अभियुक्त को बिना वजह सजा भुगतनी पडेगी व अत्यधिक हानि होगी इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी /अभियुक्त के पक्ष में है।

5. यह कि प्रार्थी /अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तत्पर है।

6. यह कि अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज कर दिये जायेगें।

अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थी /अभियुक्त का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आपेक्षित निर्णय एवं दण्ड़ादेश दिनांक 17.03.2026 को ताफैसला अपील स्थगित किये जाने के आदेश फरमावें।

स्थान प्रार्थी /अभियुक्तगण

दिनांक

जरिये अधिवक्ता

विजय सिंह शेखावत एण्ड एसोसियट्स
एडवोकेट्स
रजिस्ट्रेशन नं. आर.–718/2001
ई–मेल : vssadv@mail.com
मोबाईल नं. : 9414047473
एडवोकेट्स

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर

फौजदारी अपील संख्या...../2026

आलोक जैन तिजारिया व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 415 बी.एन.एन.एस.

नाम व पता पता :

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016
2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
5. संतोष कुमार संचालक कंपनी

मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006

6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी–6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016

डाक का पता : उपरोक्त

मोबाईल नम्बर :

ई–मेल पता :

स्थान हस्ताक्षर अपीलार्थीगण
दिनांक

अण्डरटेकिंग

उपरोक्त प्रस्तुत सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो तुरन्त न्यायालय को सूचित कर देगे।

स्थान हस्ताक्षर अपीलार्थीगण
दिनांक